न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ,देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी — श्री रवि विजय (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या— 12/2016

दायरा तिथी — 28.01.2016

नये प्रकरण संख्या — 06/2019

दायरा तिथी—12.4.2019

वादीगणः—	बनाम	प्रतिवादीगणः —
1—कानाराम पुत्र जेपारामजी		1—दरगाराम पुत्र जेपाराम
2—कन्या पत्नी कानारामजी		2—साहेबी पत्नी दरगाराम
जातिगण—राईका निवासीगण		3—वरदाराम पुत्र जेपारामजी,
खारची, तहसील—देसूरी		4—गजरो पत्नी वरदारामजी,
		जातिगण—राईका, निवासीगण—
		खारची, तहसील—देसूरी
		5—राजस्थान—सरकार जरिये
		तहसीलदार,देसूरी

दावा बाबत —53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थितः—

1—श्री मनोहरदास वैष्णव अधिवक्ता वादीगण की ओर से

2—श्री दिव्य प्रकाश अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक—18.4.2019

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत विभाजन कृषि भूमि एवं घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारची तहसील—देसूरी मे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या—1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्त शुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर—226 रकबा—0.55 हैक्टर, किस्म—चाही सोयम, जाव सोयम लगान रूपये 8.14 विद्यमान है। उक्त आराजी मे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या—1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या— 3 व 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का कब्जा एवं काश्त शुदा आता है। मौके पर इसी हिस्से के अनुसार अपने अपने बंट की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है, परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से खोले हुए नहीं है, जिससे

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या—2 पर.................

काश्त करने मे समस्या आती है। वादीगण अपनी बंट शुदा खातेदारी का 1/3 हिस्सा घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है एवं कृषि भूमि का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नहीं हुआ है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवा कर अपनी खातेदारी हिस्से की आराजी का अलग बंट करवाना चाहते है प्रतिवादीगण को कई बार बंटवारा हेतु कहने पर भी तैयार नही होने से वाद धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन हेतु विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर–226 रकबा 0.5500 हैक्टर मे वादी का 1/3 हिस्सा घोषित कराने वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 के मध्य माफिक खातेदारी हिस्सो का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाया जाकर वादीगण का 1/3 हिस्सा का अलग बंट कर लगान रकबा अलग कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या–2 ने गलत तथ्यो के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश किया है जो राजस्व रिकार्ड से मेल नही खाते है बिना दस्तावेजी साक्ष्य से दर्ज कराये गये है जो काबिल खारिज के है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मौजा खारची तहसील–देसूरी के खसरा नम्बर–226 रकबा–0.55 हैक्टर किस्म चाही सोयम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 लगाय–4 को संयुक्त रूप से आवंटन/नियमन शुदा कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि खतौनी सम्वत्–2070 से 2073 से होती है। पूर्व मे उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के संयुक्त गेर खातेदारी की कृषि भूमि दर्ज थी। जिसके खातेदेरी हकूक वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये ना0 क0 संख्या–123 दिनांक 05.01.2015 के हासिल हुये है जिससे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 लगाय–4 समान रूप से संयुक्त बहिस्सा बराबर के खातेदार है, जिसमे वादी संख्या–1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 व 4 द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत काउण्टर क्लेम एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के जवाब के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने गलत तथ्यो के आधार पर तथा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य राजस्व रिकार्ड से मेल नही खाते है जिससे प्रतिवादीगण का प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः मौजा खारची स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर–226 रकबा–0.55 हैक्टर, किस्म चाही सोयम, लगान रूपये–8.14 के संबंध मे वादीगण संख्या–1 व 2

लगातार पेज संख्या–3 पर................

का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–3 व 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है इसी हिस्सो के अनुरूप पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 लगाय 4 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की प्राथमिक डिकी लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प मगरतलाव मे दिनांक 08.05.2017 को पारित की गई। प्राथमिक डिकी आदेश की प्रति तहसीलदार, देसूरी व पटवारी हल्का मगरतलाव को भिजवाई जाकर निर्देश दिये गये कि वे पक्षकारो मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी गई भूमि की पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा नम्बर, रकबा, किस्म भूमि, लगान इत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन हेतु रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुए रिपोर्ट पेश करे एवं विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिकी जारी किये जाने के आदेश प्राथमिक डिकी मे दिये गये। तथा पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दी गई।

दिनांक 08.05.2017 को पारित प्राथमिक डिकी आदेश की अनुपालना मे वादी/प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे अंतिम डिकी पारित किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ प्राथमिक डिकी की नकल की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार देसूरी से विभाजन रिपोर्ट कमांक राजस्व/18/175 दिनांक 15.2.2018 प्राप्त हो चुकी है।प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर अधिवक्तागण को सुना गया। मूल वाद पत्रावली 12/2016 का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुरूप अंतिम डिकी आदेश पारित किये जाने का निवेदन गया।

अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुरूप विभाजन की अंतिम डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है :–

क.सं. नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1–कानाराम पुत्र जेपाराम हि. 1/2,कन्या पत्नी कानाराम हि.1/2 जातिगण–देवासी सा0देह खातेदार	226/1	0.18	चा.सो. 0.11 जा.सो. 0.07	2.69 रू.
योग	01	0.18	–	2.69 रू

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लगातार पेज संख्या–4 पर................

2— दरगाराम पुत्र जेपाराम हि. 1/4, साहेबी पत्नी दरगाराम हि.1/4, वरदाराम पुत्र जेपाराम हि.1/4, गजरो पत्नी वरदाराम हि. 1/4, जातिगण देवासी सा.देह खातेदार	226	0.37	चा.सो. 0.22 जा.सो. 0.15	5.45 रू.
योग	01	0.37	—	5.45 रू

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद एवं नक्शें मे तरमीम किया जावें। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं डिकी का भाग माना जावें। कुल लगान राशि 8.14 रूपये का पांच गुणा पर देय मुद्रांक के बतौर रूपये 5 नोन ज्युडिशियल स्टाम्प वादी पेश करें। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद हेतु लिखा जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक— 18.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अंतिम डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,देसूरी(पाली)

बइजलास – श्री रवि विजय (आर.ए.एस.)

वादीगण :–	बनाम	**प्रतिवादीगण:–**
(1) – कानाराम पुत्र जेपाराम (2)– कन्या पत्नी कानाराम जतिगण–राईका,निवासीगण खारची,तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज0)		(1) –दरगाराम पुत्र जेपाराम (2) – साहेबी पत्नी दरगाराम (3) – वरदाराम पुत्र जेपाराम (4)– गजरो पत्नी वरदाराम जातिगण–राईका,निवासीगण खारची,तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज0) (5) –राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

दावा– 53,88 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर–12/2016
नये प्रकरण संख्या–06/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिर वादीगण के वकील श्री मनोहरदास वैष्णव मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण के वकील श्री दिव्यप्रकाश मिनजानिब मुददायलाह पेशहोकर हुक्म दिया जाताहै व डिगरी दी जाती है कि –

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि मौजा– खारची,तहसील–देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर–226 रकबा–0.55 हैक्टर,किस्म–चाही सोयम,लगान 8.14 रूपये मे वादीगण संख्या–1 व 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या–3 व 4 का 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।इसी हिस्से के अनुरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की प्राथमिक डिकी लोक अदालत केम्प मगरतलाव मे दिनांक 8.5.2017 को पारित की गई। आदेष की पालना मे तहसीलदार,देसूरी द्वारा निर्देशानुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्राथमिक डिकी मे पारित आदेश के अनुरूप तहसीलदार,देसूरी द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुरूप विभाजन की अंतिम डिकी जारी की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 द्वारा काउण्टर क्लेम बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत होने व मेल नही खाने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(1) –कानाराम पुत्र जेपाराम हि0 1/2,कन्या पत्नी कानाराम हि0 1/2 जातिगण–राईका के खातेदार खसरा नम्बर–226/1 रकबा–0.18

लगातार पेज संख्या–2 पर....

हैक्टर,किस्म–चा0सो0,लगान 2.69 रूपये रखी गई।

(2) – दरगाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 1/4, साहेबी पत्नी दरगाराम हिस्सा 1/4 ,वरदाराम पुत्र जेपाराम हिस्सा 1/4, गजरो पत्नी वरदाराम हिस्सा 1/4 जातिगण–राईका,निवासीगण–खारची के खातेदार खसरा नम्बर–226 रकबा–0.37 हैक्टर, किस्म– चा0सो0,लगान–5.45 रूपये रखी गई।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शे मे तरमीम किया जावे।विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा इस निर्णय एवं अंतिम डिक्री का भाग माना जावे।पालना हेतु तहसीलदार,देसूरी को लिखा जावे।पत्रावली फैसल शुमार हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
देसूरी

नीज............... मुबलिक................. बाबत ....खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर..................फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख–18.4.2019

मोहर

दस्तखत– सहायक कलेक्टर
ओहदा– (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रू0	पैसे	मुद्दायला	रू0	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न हो दर्ज किया जावे ।